[2019] 6 एस. सी. आर. 467

पी. सुरेंद्रन

बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य

(2019 की एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 1832)

29 मार्च, 2019

[एन. वी. रमना और मोहन एम. शांतनागौदर, न्यायमूर्तियाँ]

जमानतः

अग्रिम जमानत - एक ऐसे मामले में मांगी गई जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (ii) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था - शुरू में जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था - बाद में उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने अदालत के समक्ष आवेदन का संख्यांकन और सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम के तहत अपराध होने के कारण, जमानत याचिका चलाने के योग्य नहीं थी - अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: एक याचिका के संख्यांकन का कार्य विशुद्ध रूप से प्रशासनिक है - चलाने की योग्यता के पहलू पर अदालत की रजिस्ट्री द्वारा की गई आपत्तियों के लिए उचित न्यायिक मानक का उपयोग कर न्यायिक विवेक के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है - इसके अलावा, एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 18क के शब्द स्वयं न्यायिक विवेक के उपयोग को इंगित करते हैं - इस मामले में निर्धारण एक न्यायिक कार्य है और उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री संख्यांकन खारिज नहीं कर सकती थी - उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री याचिका के चलाने की योग्यता का जवाब देने के लिए ऐसी न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती थी, जब वह न्यायालय के दायरे में थी - न्यायिक कार्य की शक्ति को रजिस्ट्री को सौंपा नहीं जा सकता है - मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को याचिका के संख्यांकन करने और इसे एक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है।

जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ बनाम लक्ष्मीचंद और अन्य **ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 677: [1963] अनुपूरक एस. सी. आर. 242 - का अनुसरण किया गया।**

<u>सन्दर्भ निर्णय विधि</u>

[1963] अनुपूरक एस. सी. आर. 242	**का अनुसरण किया गया**	**पैरा 9**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 1832

2018 की आपराधिक एम. पी. संख्या 5697 में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में कांचीपुरम जिले के प्रधान सत्र न्यायाधीश के उच्च न्यायालय के दिनांक 02.01.2019 के निर्णय और आदेश से।

विकास सिंह जांगड़ा, अमित कुमार पाठक, अधिवक्तागण - अपीलकर्ता के लिए।

के. के. वेणुगोपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल, आर. बालासुब्रमण्यम, सुश्री श्रद्धा देशमुख, ए. के. शर्मा, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्तागण - उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का आदेश इनके द्वारा पारित किया गया था

एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति

1. यह विशेष अनुमति याचिका 2018 की आपराधिक एम. पी. संख्या 5697 में दिनांक 02.01.2019 के आक्षेपित आदेश और फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में कांचीपुरम जिले के प्रधान सत्र न्यायाधीश की विद्वान न्यायालय द्वारा पारित किया गया था और उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के आदेश के खिलाफ, जिसमें याचिकाकर्ता-अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका का संख्यांकन नहीं किया गया था|

2. हमें मामले के निपटारे के लिए आवश्यक बुनियादी तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है। तीन सह-अभियुक्तों (मुरुगेसन, एस. एम. एकांबरम और रामास्वामी) के खिलाफ पी. एस. पल्लिकरनाई, सेंट थॉमस माउंट, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु के समक्ष आई. पी. सी. की धारा 147,148, 448, 302 और 506 के तहत 2017 का अपराध संख्या 937, दिनांक 03.04.2017 दर्ज की गई थी। यह माना जाता है कि बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ['अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम'] की धारा 3 (ii) के तहत अपराध भी जोड़ा गया था। इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता को बाद में पुलिस द्वारा आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने चेंगलपट्टू में कांचीपुरम के प्रधान सत्र न्यायाधीश के विद्वान न्यायालय के समक्ष 2018 की आपराधिक एम. पी. संख्या 5697 होने के कारण अग्रिम जमानत आवेदन दायर की थी।

3. जिला प्रधान न्यायाधीश ने 02.01.2019 दिनांकित एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उसी से व्यथित, याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने कार्यालय की निम्नलिखित आपत्ति पर मामले का संख्यांकन करने और अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया -

"यह बताया जा सकता है कि अग्रिम जमानत के लिए यह याचिका कैसे चलाने की योग्यता रखती है, क्योंकि अपराध एस.सी./एस.टी. अधिनियम के तहत है"

भले ही याचिकाकर्ता ने उपरोक्त कार्यालय की आपत्ति का जवाब दिया, उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने याचिका का संख्यांकन खारिज कर दिया और एससी/एसटी अधिनियम के तहत चलाने की योग्यता के मुद्दे पर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

4. इस तरह के गैर-पंजीकरण से व्यथित, याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष कानून के एक प्रश्न पर है कि क्या मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री गलत थी, पूर्व-जमानती याचिका का संख्यांकन न करने में और क्या याचिका की चलाने की योग्यता के मुद्दे पर इसे खारिज करना उच्च न्यायालय के न्यायिक कार्य का अतिक्रमण है?

5. मामले के महत्व को देखते हुए, इस न्यायालय ने भारत के अटॉर्नी जनरल से सहायता का अनुरोध किया था, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया और इस न्यायालय की सहायता की।

6. विद्वान अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अग्रिम जमानत याचिका का संख्यांकन करने से इनकार करने और इसे उपयुक्त पीठ के समक्ष नहीं रखने में मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री का रुख गलत है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में 2018 के बाद के संशोधन, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत धारा 18क को शामिल करने के मद्देनजर, उपयुक्त पीठ को इस मामले पर निर्णय लेना होगा क्योंकि यह एक न्यायिक कार्य है। इसलिए, मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री चलाने की योग्यता के आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन को संख्या देने से इनकार नहीं कर सकती है।

7. हाल ही में, सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 की संख्या 27 के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधन किया, जिसमें एक नया प्रावधान धारा 18-क जोड़ा गया, जो इस प्रकार हैः

18क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए -

(क) किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; या

(ख) जांच अधिकारी को, यदि आवश्यक हो, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके खिलाफ इस अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अलावा कोई अन्य प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) संहिता की धारा 438 के प्रावधान किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के बावजूद इस अधिनियम के तहत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे।"।

(जोर दिया गया)

8. हम ध्यान दे सकते हैं कि उपरोक्त संशोधन को 2018 के आर.पी. (आपराधिक) संख्या 228 के साथ इस न्यायालय की एक अलग पीठ के समक्ष सूचीबद्ध विभिन्न रिट याचिकाओं में

संवैधानिक रूप से चुनौती दी गई है, जिसका शीर्षक भारत संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य है। हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न अलग, विशिष्ट और सीमित है। हम केवल इस सवाल से चिंतित हैं कि क्या रजिस्ट्री याचिका की चलाने की योग्यता पर सवाल उठा सकती थी।

9. न्यायिक कार्य की प्रकृति हमारी कानूनी प्रणाली के तहत अच्छी तरह से स्थापित है। न्यायिक कार्य न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य है, जो उस चरित्र के साथ निवेश करता है। प्रशासनिक और न्यायिक कार्य को अलग करने वाला विशिष्ट कारक न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य और अधिकार है। इस प्रकार न्यायिक कार्य को प्रस्ताव, विरोध पर विचार करने और फिर तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार कर उसी पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। **जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ बनाम लक्ष्मीचंद और अन्य,** ए. आई. आर 1963 एस. सी 677 मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ**,** यह पता लगाने के लिए कि कोई निर्णय या कार्य न्यायिक कार्य है या नहीं, निम्नलिखित मानदंडों को निम्नलिखित तरीके से तैयार किया गया -

> **(1) यह वास्तव में पहले से मौजूद कानूनी नियम के प्रकाश में पाए जाने वाले तथ्यों के लिए वस्तुनिष्ठ मानकों के अनुप्रयोग द्वारा एक प्रश्न की जांच पर एक निर्धारण है;**
>
> **(2) यह अधिकारों की घोषणा करता है या पक्षों पर उनके नागरिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले दायित्वों को लागू करता है; और**
>
> **(3) कि जाँच कुछ प्रक्रियात्मक विशेषताओं के अधीन है जो किसी पक्षकार को अपना मामला प्रस्तुत करने के अवसर पर विचार करती है, यदि कोई विवाद तथ्य के प्रश्नों पर है तो साक्ष्य के माध्यम से तथ्यों का पता लगाती है, और यदि विवाद कानूनी तर्क की प्रस्तुति कानून के प्रश्न पर है, और तथ्य और कानून के उन प्रश्नों के आधार पर एक निर्णय जिसके परिणामस्वरूप मामले का निपटान होता है।**
>
> **(जोर दिया गया)**

याचिका का संख्यांकन करने का कार्य विशुद्ध रूप से प्रशासनिक है। मद्रास उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा चलाने की योग्यता के पहलू पर की गई आपत्तियों के लिए उचित न्यायिक मानक का उपयोग कर न्यायिक विवेक के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 18क के शब्द स्वयं न्यायिक विवेक के अनुप्रयोग को इंगित करते हैं।

इस संदर्भ में, हम अटॉर्नी जनरल के इस बयान को स्वीकार करते हैं कि इस मामले में निर्धारण एक न्यायिक कार्य है और उच्च न्यायालय रजिस्ट्री संख्यांकन को खारिज नहीं कर सकता था।

10. इसलिए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि उच्च न्यायालय रजिस्ट्री याचिका के चलाने की योग्यता का जवाब देने के लिए ऐसी न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती थी, जब वह न्यायालय के दायरे में थी। चूंकि न्यायिक कार्य की शक्ति रजिस्ट्री को नहीं सौंपी जा सकती है, इसलिए हम मद्रास उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा याचिका के संख्यांकन/पंजीकरण को अस्वीकार

करने के आदेश को बनाए नहीं रख सकते हैं। तदनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिका का संख्यांकन करे और इसे एक अनुमोदित पीठ के समक्ष रखे।

11. ऐसा कहने के बाद, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने संशोधन की प्रकृति, न्यायिक समीक्षा के मानक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18-ए के तहत न्याय्यता की सीमा पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है, जिसे उपयुक्त पीठ के लिए विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

12. इससे पहले कि हम इस मामले से अलग हों, हम ध्यान दें कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है और उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह इस मामले में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले पर विचार करे।

13. चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका का तदनुसार उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिका का निपटारा कर दिया गया